



महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना, हैदराबाद - 500 004.
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A & E)
ANDHRA PRADESH AND TELANGANA, HYDERABAD - 500 004.

दिनांक / Date :

10.2015

PM/VI/2015-16/OG-GO/
To
The Director of Treasuries and Accounts
Telangana
4th Floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
HYDERABAD
Sir,

Sub: Grant of DR @ 113% from 01.01.2015 to UP pensioners/Family
Pensioners who are drawing pension in Grant -In-Aid scales.

Ref: 1. Govt of Uttar Pradesh No 3/2015/PC-1-600/X-2015-42(M)
2008/. dt 08.06.2015 of Finance (General) section-3.
2. Accountant General (A&E)II Uttar Pradesh SSA No PM/
DR/UP/810 dt 02.09.2015

I am to enclose herewith copy of Govt. orders issued by Uttar Pradesh Government and received under Special Seal Authority from the Accountant General (A&E) Uttar Pradesh, in the reference cited. The same is being placed in the official website of this office (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer

Copy to

The Joint Director
Pension Payment Office
MJ Road, Nampally
HYDERABAD

for information and necessary action.

Sr. Accounts Officer



महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना, हैदराबाद - 500 004.
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A & E)
ANDHRA PRADESH AND TELANGANA, HYDERABAD - 500 004.

दिनांक / Date :

10.2015

PM/VI/2015-16/OG-GO/

To

The Director of Treasuries and Accounts

Andhra Pradesh

4th Floor Rajaram Building

Tilak Road Abids

HYDERABAD

Sir,

Sub: Grant of DR @ 113% from 01.01.2015 to UP pensioners/Family Pensioners who are drawing pension in Grant -In-Aid scales.

Ref:1. Govt of Uttar Pradesh No 3/2015/PC-1-600/X-2015-42(M) 2008/. dt 08.06.2015 of Finance (General) section-3.

2. Accountant General (A&E)II Uttar Pradesh SSA No PM/ DR/UP/810 dt 02.09.2015

I am to enclose herewith copy of Govt. orders issued by Uttar Pradesh Government and received under Special Seal Authority from the Accountant General (A&E) Uttar Pradesh, in the reference cited. The same is being placed in the official website of this office (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer

Copy to

The Joint Director
HQR Treasury
Tilak Road, Abids
HYDERABAD

for information and necessary action.

Sr. Accounts Officer



सत्यमेव जयते

Office of the Accountant General (A&E)-II, UP
20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad 211001
Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402

Under Special Seal

Circular No:- Pension (Misc)/Dearness Relief/U.P./ 810

Dt: 2/09/2015

To,

Accountant General (A&E), Andhra Pradesh
Saifabad.....
.....Hyderabad 500004

Subject:- राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का दिनांक 01.01.2015 से बढी हुई दर पर भुगतान।

I am forwarding herewith copies of office memo. No. 14/Sa-3-2015/वे0आ0-1-600/दस-2015-42(M)/2008 dt. 08/06/2015 on the subject cited above for necessary action please.

Encl:- As stated above

OGP

Yours Faithfully,

Srinivastava

Sr. Accounts Officer/Pension



प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- (2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
- (3) शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
- (4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
- (5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, 8वाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- (6) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
- (7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक : 08 जून, 2015

62
6-18

विषय- राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01-01-2015 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

ACI-

पठित निम्नलिखित

✓
ज
11/5

- (1) शासनादेश संख्या-वे0आ0-1-1035/दस-2014-42(एम)/08, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014
- (2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय जापन-संख्या-1/2/2015-ई-11(बी), दिनांक 10 अप्रैल, 2015

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या वे0आ0-1-1035/दस-2014-42(एम)/08, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को दिनांक 01 जनवरी, 2015 से निम्नानुसार संशोधित दर पर महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है -

तिथि जब से देय है

महंगाई भत्ते की मासिक दर

01-01-2015

मूल वेतन का 113 प्रतिशत

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-वे0आ0-1-1599/दस-42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-3 एवं 5 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

3- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु 'मूल वेतन' का तात्पर्य दिनांक 01-01-2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैंड में वेतन तथा अनुमन्य 'ग्रेड वेतन' के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अंतर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा। परन्तु प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को 'वेतन' का अंश माना जायेगा अर्थात् प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को महंगाई भत्ता के आगणन हेतु सम्मिलित किया जायेगा।

4- महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।

5- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कर्मचारियों/शिक्षकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे किन्तु इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग-पत्र, सेवा-निवृत्त, मृत्यु या सेवा-मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हो, सेवा-समाप्ति, सेवा-निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।

6- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात् 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रुपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

7- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी, 2015 से दिनांक 31 मई, 2015 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/ कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 जून, 2015 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर व्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 30 जून, 2016 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर जिनमें भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) देय हो जाय, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बड़ी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 01 जून, 2015 से (माह जून, 2015 का भुगतान दिनांक 01 जुलाई, 2015 को देय) नकद किया जायेगा। ऐसे

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अधिकारी/कर्मचारी जिनका भविष्य निधि खाता न खुला हो, उनको देय अवशेष नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनओएसओसीओ)/पीओपीओएफओ में जमा किया जायेगा।

8- नयी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते के ऐरियर की राशि के दस प्रतिशत के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा। ऐरियर की शेष 90 प्रतिशत राशि संबंधित कर्मचारियों को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनओएसओसीओ)/पीओपीओएफ खाते में जमा की जायेगी।

9- महंगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि से संबंधित बिल/शेड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या-सा-4-12/दस-97-500(1)/97, दिनांक 7-10-1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिए।

10- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जनवरी, 2015 से शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवा निवृत्त होने वाले हो, उनको देय महंगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-3/2015/वेओआओ-1-600/दस-2015-42(एम)/2008 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 एवं 2 तथा (आडिट)-1 एवं 2 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (4) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग) कमरा नं०-261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001
- (5) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय लखनऊ।
- (6) प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- (7) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- (8) रीजनल प्राविडेंट फण्ड कमिशनर, कानपुर।
- (9) अपर निदेशक, कोषागार शिविर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल) कचहरी रोड, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (10) निदेशक, पंचायती राज (लेखा) इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (90 अतिरिक्त प्रतियो सहित जो समस्त वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश को भेजी जायेगी)।
- (11) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (12) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- (13) शिक्षा अनुभाग-3,5,6,8 और 11, उच्च शिक्षा अनुभाग-2 व 4, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 व 2, नगर विकास अनुभाग-1 तथा पंचायती राज अनुभाग-1, सावर्जनिक उद्यम अनुभाग-1 व 2 (अतिरिक्त प्रतियो सहित)
- (14) इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ)
- (15) वित्त (ई-6), वित्त (सामान्य) अनु0-1 व 2, उत्तरांचल समन्वय अनुभाग, चिकित्सा अनु0-2, कृषि अनु0-8, पंचायती राज अनु0-3, आवास अनु0-2, नगर विकास अनु0-3
- (16) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।
- (17) सचिवालय के अन्य समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।